

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट बनेड़ा (भीलवाड़ा)

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/फोलोअप केम्प-रायला)

—::संशोधित आदेश::—

प्रार्थी के "खाता दुरस्ती" प्रार्थनापत्र एवं पटवारी निम्बाहेड़ाकलां व भू.अ.नि. रायला की रिपोर्ट तथा तहसीलदार बनेड़ा की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम धामणिया पटवार मण्डल निम्बाहेड़ाकलां तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी सम्वत् 2076-79 के खाता संख्या 30 , 06 ,04 ,05 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र०स०	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	धामणिया	30 06 04 05	नानू पुत्र छोगा	नानू उर्फ नानूराम पुत्र छोगा

(अशुल सिंह)

उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा

जिला-भीलवाड़ा

क्रमांक / केम्प / 2022 / ७० सं. 81/22

दिनांक: 22.06.2022

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

1. तहसीलदार बनेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
2. प्रार्थी श्री नानू उर्फ नानूराम पि० छोगा भील निवासी-धामणिया तहसील-बनेड़ा।
3. रक्षित पत्रार्थली।

— sd —

उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा

जिला-भीलवाड़ा